**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Issue regarding use of Hindi Language for official documentation in Police and other Government offices.

**डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट):** माननीय सभापति जी, मैं ज्वलंत प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम सब लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं, अगर बहुत हुआ तो अंग्रेजी या लोकल भाषा राजकाज का उपयोग होता है । देखने में आ रहा है कि आजादी के 70 साल के बाद अभी भी पुलिस विभाग लकीर का फकीर है और रोज के काम में उर्दू भाषा का इस्तेमाल होता है । नए बच्चे पढ़कर पुलिस की नौकरी में आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उर्दू भाषा में क्या शब्द लिखे हैं । नए मजिस्ट्रेट के सामने जब जानकारी जाती है तो उसको भी समझ में नहीं आता । अस्तपाल में डॉक्टरों की समझ में नहीं आता है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 70 साल की आजादी के बाद अब कम से कम पुलिस विभाग, राजस्व विभाग या अन्य विभाग हिंदी भाषा का उपयोग करें । इसके साथ ही वे राज्य जहां हिंदी भाषा के साथ मातृभाषा का अध्ययन होता है, इसी भाषा में लिखें तो सामान्य भाषा शिकायतकर्ता को भी समझ में आएगी और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समझ में आएगी । मेरी मांग है कि मातृभाषा हिंदी या लोकल भाषा में लिखापढ़ी की जाए ।